(ग) उत्तर प्रदेश की सरकारी रेलवे पुलिस ने लूटी गयी सम्पत्ति में से कुछ सम्पत्ति एक अपराधी, मायनुद्दीन की रखैल के मकान से बरामद कर ली है। अपराधी को गिरफ्तार करने की भरसक चेष्टा की जा रही है।

(घ) (1) सरकारी रेलवे पुलिस, इस खण्ड पर चलने वाली रात की सभी गाड़ियों में आरक्षियों की व्यवस्था कर रही है।

(2) रेल सम्पत्ति की चोरी की रोक-थाम के लिए इस खण्ड पर रात को चलने वाली गाड़ियों में, रात के दौरान, सशस्त्र रेलवे सुरक्षा दल की व्यवस्था की जा रही है।

(3) रात के दौरान कीथम रेलवे स्टेशन की रेलवे सुरक्षा दल और सरकारी रेलवे पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से अचानक जांच की जाती है और वहां गश्त की व्यवस्था की जाती है।

दहानू रोड स्टेशन पर दिल्ली-बम्बई डीलक्स गाड़ी का पटरी से उतर जाना

381. श्री रामजी लाल सुमन : श्री यादवेन्द्र दत्त

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन को पता है कि बम्बई से 150 किलोमीटर उत्तर में 24 मई, को दहानू रोड स्टेशन पर दिल्ली-बम्बई डीलक्स गाड़ी की बोगियों के पटरी से उतर जाने से 2 व्यक्ति मारे गये तथा 5 व्यक्ति घायल हुए ;

(ख) इस बारे में दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ;

(ग) उन के परिवारों को राहत देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिये मंत्रालय द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) इस दुर्घटना में एक व्यक्ति मारा गया, एक सख्त घायल हुआ और 2 को साधारण चोटें पहुंची।

(ख) रेल संरक्षा के अपर आयुक्त, जिन्होंने इस दुर्घटना की विधिक जांच की थी, की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है। उनकी रिपोर्ट मिलने पर यदि कोई कर्मचारी दोषी पाया गया तो उस के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई की जायेगी।

(ग) इस दुर्घटना में ग्रस्त होने वाले दो व्यक्तियों को पांच-पांच सौ रुपये का भुगतान अनुग्रह के रूप में किया गया था। जब मुआवजे के लिए दावे प्राप्त होंगे तो पदेन दावा आयुक्त उनका निर्णय करेंगे और रेल प्रशासन अदालतों के फैसले के आधार पर भुगतान करेगी।

(घ) रेलों के संरक्षा संगठन गाड़ियों के संचालन से सम्बन्धित कर्मचारियों में संरक्षा की अधिक भावना उत्पन्न करने और यह सुनिश्चित करने के लिए एक सतत अभियान चला रहे हैं कि कर्मचारी नियमों का उल्लंघन न करें या लाघव विधियां न अपनाएं। गाड़ियों की जांच-पड़ताल और सवारी तथा माल डिब्बा डिपुओं में स्थल जांचों को गहन कर दिया गया है और पटरी के उपयुक्त अनुरक्षण की ओर अधिक ध्यान दिया जा रहा है।

मानवीय तत्वों पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से पहियों, धुरों और पटरी के लिए अल्ट्रासोनिक फ्लाा डिटेक्टर, रेल पथ परिपथन, धुरा काउन्टर, स्वचन चेतावनी प्रणाली आदि जैसे विभिन्न परिष्कृत उपकरण उत्तरोत्तर लागू किये जा रहे हैं ।

अमृतसर एक्सप्रेस में 1 जून, 1978 की डकैती

382. श्री रामजी लाल सुमन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पता है कि 1 जून को आगरा और मथुरा के बीच कोथम और फरह स्टेशनों के निकट अमृतसर एक्सप्रेस में डकैती की घटना हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो रेल सुरक्षा बल क्या कर रहा था ; और

(ग) इस बारे में मंत्री महोदय ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण): (क) यह डकैती का मामला नहीं था बल्कि लूट-पाट की कोशिश का मामला था।

(ख) रेलवे सुरक्षा बल, रेलवे को सौंपे गये माल के पार्सलों और बुक किये गये असबाब सहित, जब ये मार्ग में हो, रेल सम्पत्ति की हिफाजत और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होता है । यात्रियों के जान-माल की हिफाजत की जिम्मेदारी सरकारी रेलवे पुलिस की है जो राज्य सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में होती है । लेकिन इस गाड़ी में यात्रियों की हिफाजत के लिए रेलवे सुरक्षा दल का एक रक्षक ड्यूटी पर था । उस ने अपराधियों को ललकारा । अपराधी पत्थर बरसाते हुए, जिस से रक्षक घायल हो गया था, भाग गये ।

(ग) बाधा करने वाली जनता को प्रभावित करने वाले जघन्य अपराधों में बढ़ती से चिंतित हो कर रेल मंत्री जी ने, इससे पहले, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्रियों का ध्यान आकर्षित किया था और उनका उत्तर उत्साहवर्धक था। 16-6-78 को रेल मंत्रालय और गृह मंत्रालय के अधिकारियों के बीच एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गयी थी और यह विनिश्चय किया गया था कि : (1) उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य, प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र को राज्य सरकारें अधिक संख्या में सशस्त्र अनुरक्षियों की व्यवस्था कर के इस प्रकार के अपराधों के विरुद्ध एक जोरदार अभियान चलायें, (2) जब कभी खतरे की जंजीर खींची जाये तो उस के बारे में सशस्त्र पुलिस अनुरक्षियों को सूचना देने की तात्कालिक व्यवस्था हो, (3) सशस्त्र पुलिस अनुरक्षियों को गाड़ी के बीच में तैनात करने की व्यवस्था हो, (4) पुलिस अनुरक्षियों को शक्ति-शाली टार्चें/हल्की पिस्तौलें और भभूकों (प्रकाश गोलों) से सज्जित किया जाय । रेल सम्पत्ति की हिफाजत के लिए भेद्य खंडों में चलने वाली कुछ खास गाड़ियों में रेलवे सुरक्षा दल के सशस्त्र कर्मचारियों को भी तैनात किया जा रहा है । इससे यात्रियों में विश्वास की भावना पैदा करने में भी सहायता मिलेगी और अपराधी गाड़ियों में वारदातें करने से भी बाज आयेंगे ।

कुतुब एक्सप्रेस की समय-पाबन्दी बनाये रखने के लिए किये गये उपचारात्मक उपाय

383. श्री रामजी लाल सुमन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुतुब एक्सप्रेस, इसके निजा-मुद्दीन से जबलपुर तक चलने के पश्चात,